"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 73] रायपुर, शनिवार, दिनांक 27 फरवरी 2016— फाल्गुन 8, शक 1937

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 21-2/2013/नौ/55-4.— छत्तीसगढ़ फिजियोथेरेपी एवं ऑक्यूपेशनल थेरेपी परिषद् अधिनियम, 2015 (क्रमांक 4 सन् 2016) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, 27 फरवरी, 2016 को उस तिथि के रूप में नियत करती है जिस पर उक्त अधिनियम के समस्त प्रावधान प्रवृत्त होंगे.

क्रमांक एफ 21-2/2013/नौ/55-4.— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Chhattisgarh Council for Physiotherapy and Occupational Therapy Act, 2015 (No. 4 of 2016), State Government, hereby, appoints the 27th February, 2016 as the date on which all the provisions of the said Act shall come into force.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आलोक अवस्थी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.